जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
92/2016
A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 92/2016 अनवानी रायसाहब पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी बींझवायला तह0 पदमपुर बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी पदमपुर 2–नानू देवी पत्नि हनुमान जाति कुम्हार नि0 बींझवायला तह0 पदमपुर 3–गोपाल 4–कृष्णलाल 5–राजोदेवी 6–राजरानी 7–शीशपाल 8–आतूदेवी 9–तीजादेवी वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.10.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जीतपालसिंह सैनी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 ता 6 की तरफ से श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया। है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 ता 6 के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित प्रकरण सं0 /2016 अनवानी रायसाहब बनाम नानूदेवी धारा 53, 88, 188 आरटीए मय विविध प्रा0 पत्र सं0 72/2016 रायसाहब बनाम नानूदेवी वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का कार्यभार अन्य पीठासीन अधिकारी को सौंपा जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित प्रकरण सं0 /2016 अनवानी रायसाहब बनाम नानूदेवी धारा 53, 88, 188 आरटीए मय विविध प्रा0 पत्र सं0 72/2016 रायसाहब बनाम नानूदेवी वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का कार्यभार अन्य पीठासीन अधिकारी को सौंपा जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर